

प्रेषक,

ए0पी0 त्रिपाठी,  
संयुक्त सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग  
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 14 मई, 2018

विषय- जिला पूर्ति कार्यालय आगरा के कार्यालय भवन के किराया स्वीकृति के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 ले0शा0/73/गोदाम/21/2006/कर्या0भवन दिनांक 13-4-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पूर्ति कार्यालय आगरा में विभागीय किरायेदारी में चल रहे श्रीमती शान्ता सिंह पत्नी श्री विजय सिंह निवासी 03, परशुराम नगर कालोनी एम0जी0 रोड, द्वितीय शाहगंज आगरा का भवन जिसका कारपेट एरिया 133.82 वर्ग मीटर/1440 वर्ग फुट है, अपर जिलाधिकारी(नागरिक आपूर्ति) आगरा के पत्र दिनांक 12-8-2015 द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र तथा विभाग एवं भवन स्वामिनी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर रू0 20.00 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से रू0 28800.00 ( रू0 अठ्ठाइस हजार आठ सौ मात्र) मासिक किराया दिनांक 05-9-2015 से जून 2018 तक किराये की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि आगामी 03 माह में विज्ञापन निकाल कर समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कार्यालय भवन हेतु नये प्रस्ताव मांगे जाय एवं तद्रूप प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से किराया स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति )-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- यह आदेश प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए० पी० त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)/प्रथम सी० ए० एस० एस० ।।टी० ए० डी० कोआर्डिनेशन 30प्र० इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
- 6- श्रीमती शान्ता सिंह पत्नी श्री विजय सिंह निवासी 03, परशुराम नगर कालोनी एम०जी० रोड, द्वितीय शाहगंज आगरा।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए० पी० त्रिपाठी )

संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।